न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बारोट राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल, जाति बारोट, निवासी देलदर, तहसील देलदर , जिला सिरोही।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर। 2. प्रभारी अधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 11/2025

दिनांक13.11.2025

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम देलदर पटवार मण्डल देलदर, तहसील देलदर में खसरा संख्या 985 रकबा 0.2782 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 की भूमि प्रार्थी के नाम से आई हुई है। कि राजस्व ग्राम देलदर में खसरा संख्या 984 रकबा 0.1012 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 की भूमि मिनी स्वास्थ्य केन्द्र देलदर के नाम की अप्रार्थी संख्या 02 की आई हुई है। कि गत कुछ वर्षो पूर्व राजस्व भू अभिलेख को कम्प्युटराईज्ड किया गया है जिसमें राजस्व भू नक्शा भी ऑनलाईन अपलोड़ किया गया है , जिसमें ग्राम देलदर के खसरा संख्या 985 एवं 984 को आपस में एक दूसरे की जगह पर प्रति स्थापित कर लिया गया है। यह राजस्व भू अभिलेख की विसंगति है, जिसे संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। कि राजस्व विभाग के भू प्रबंध के समय के नक्शें अनुसार दर्ज रकबा एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा संख्या 985 का रबा 0.2782 हैक्टेयर एवं 984 का रकबा 0.1012 हैक्टेयर आपस में मिलान होते है। वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में दर्ज खसरा संख्या 984 एवं 985 का रकबा वर्तमान जमाबंदी अनुसार मिलान नही होता है। अतः राजस्व ग्राम देलदर के खसरा नंबर 984 एवं 985 को जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही से जारी राजस्व भू नक्शें के समान ऑनलाईन कम्प्युटराईज्ड़ नक्शे में संशोधित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। स्टेट ने अपने जवाब में अंकन है कि राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय ग्राम देलदर के खसरा संख्या 984 एवं 985 को राजस्व नक्शे में एक दूसरे की जगह पर सहवन से प्रतिस्थापित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में अंकन किया है कि 20[illegible] ...अ. निरीक्षक, किवरली द्वारा जारी हस्तलिखित जमाबंदी व 2025 की [illegible] में संस्था को आवंटित खसरा नंबर 519 व 984 ही है एवं 2016 के हस्तलिखित [illegible] में खसरा रास्ते की तरफ व खसरा 985 पीछे की तरफ है परन्तु 2025 में जारी ऑनलाईन नक्शें में खसरा नंबर 985 रास्ते की तरफ व 984 पीछे की तरफ हो गया है जो कि त्रुटि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत (सिरोही)

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम देलदर की वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 985 एवं 984 आपस में एक दूसरे की जगह पर प्रतिस्थापित हो गये है। जिससे सही किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देलदर के खसरा नंबर 984 एवं 985 को जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही से जारी राजस्व भू नक्शे के समान ऑनलाईन नक्शे में संशोधन किये जाने के आदेश किये जाते है एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. अंशु प्रिया) IAS
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत (सिरोही)

दिनांक 13/11/2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/238
प्रतिलिपि :– तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:35:12 IST
Reason: SelfAttested